E-OFFICE No. 893890
DATE. 18.8.15

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास विभाग, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(41) ग्राविवि–5/आवास/मीटिंग/2015–16 जयपुर, दिनांक 13 अगस्त, 2015

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
समस्त, जिला परिषद्।
राजस्थान।

विषय :– इन्दिरा आवास योजना के पात्र आवासीय भूमिहीन लाभार्थियों निःशुल्क भू–खण्ड उपलब्ध कराने बाबत।

प्रसंग :– विभागीय पत्रांक एफ 27(1)ग्रावि–5/आईएवाई/विविध/2015–16 दि. 23.07.2015.

विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य के चयनित बीपीएल परिवारों को इन्दिरा आवास योजना प्रतीक्षा सूची में शामील परिवारों में से आवासीय भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे है। प्रासंगिक पत्र द्वारा पंचायती राज विभाग, नगरीय विकास एवं आवासीय विभाग, वन विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा बीपीएल परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने बाबत् समय–समय पर जारी किये गये परिपत्र/निर्देश की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इस क्रम में योजनान्तर्गत प्रतीक्षा सूची की गहन समीक्षा कर, पंचायतवार आवास के लाभ से वंचित परिवारों का सर्वेक्षण करवाकर भूमि की अनुपलब्धता के कारण वंचित परिवारों हेतु भूमि Set Apart के साथ–साथ योजनान्तर्गत राजकीय भूमि/पंचायत भूमि पर इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत आवास निर्माण प्रारम्भ कर द्वितीय/तृतीय किश्त नहीं मिलने के कारण अधूरे छोड दिये गये बन्द/निर्माणाधीन आवास भूमि को भी Set Apart आदि की नियमानुसार कार्यवाही कर नियमितीकरण कराने हेतु निर्देशित किया गया था। जिसकी प्रति संलग्न है।

वर्ष 2015–16 के लक्ष्य आवंटित कर पंजीकरण की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु विभागीय पत्र दिनांक 22.01.2015 द्वारा निर्देशित किये जाने के उपरान्त भी लगभग 30 प्रतिशत लक्ष्यों की पंजीकरण की कार्यवाही अभी भी शेष है, जो खेदजनक है। अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार कार्यवाही कर दिनांक 30.08.2015 तक शतः प्रतिशत स्वीकृत जारी करावें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

13/8/15
(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव, ग्रावि

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, पंरावि।
4. परियोजना अधिकारी एवं पदेन उप सचिव, (मो. एवं मू.) को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करवाने हेतु।
5. समस्त परियोजना निदेशक एवं योजना प्रभारी, ग्रामीण विकास विभाग।
6. समस्त जिला कलक्टर।
7. जिला आवास प्रभारी, जिला परिषद समस्त।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

D:\SE\Letter SE.docx

अति–आवश्यक

राजस्थान–सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(1)ग्रावि/आईएवाई/विविध/ग्रुप–5/2015–16 जयपुर, दिनांक 23 जुलाई, 2015

जिला. कलक्टर,
जिला, समस्त,
राजस्थान।

विषयः– इंदिरा आवास योजना के पात्र लाभार्थियों जिनके पास आवास हेतु भूमि नही है, को निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

इन्दिरा आवास योजना, ग्रामीण क्षेत्र के बीपीएल आवासहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने की एक महत्वपूर्ण आवासीय योजना है। सबको आवास उपलब्ध कराने के लक्ष्य के मद्देनजर योजना की समीक्षा करने पर पाया गया है कि राज्य के चयनित बीपीएल परिवारों की इन्दिरा आवास योजना प्रतीक्षा सूचि में शामिल परिवारों में से काफी परिवार भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे है।

इंदिरा आवास योजना की स्थाई प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित लाभार्थी जिनके पास स्वयं की भूमि अनुपलब्ध है, को पंचायती राज नियम 1996 के नियम 158 के अंतर्गत निःशुल्क भूमि उपलब्ध करवाने की कार्यवाही अपेक्षित है। योजनान्तर्गत ऐसे लाभार्थी जिन्होने ग्राम पंचायत या राजकीय भूमि पर नियमानुसार भू– आवंटन के बिना ही आवास निर्माण कर लिया है, को योजना का लाभ देय नही है अतः ऐसे परिवारों के आवास निर्माण स्थल की भूमि का नियमानुसार आवंटन की कार्यवाही की जाने की आवश्यकता है। उक्त सम्बन्ध में पंचायती राज विभाग एवं स्थानीय निकाय विभाग के द्वारा जारी आदेशों की प्रति संलग्न कर उल्लेख है कि आवासहीन एवं आवासीय भूमिहीन परिवारों को निःशुल्क रियायती दर पर भूमि उपलब्ध करवाने व पट्टा जारी करने के प्रावधान है।

इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान में आया है कि कुछ परिवारों द्वारा राजकीय भूमि/पंचायत भूमि पर इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत आवास निर्माण प्रारम्भ कर द्वितीय/तृतीय किश्त नहीं मिलने के कारण अधूरे छोड दिये है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप अपने जिले की इन्दिरा आवास योजना की प्रतीक्षा सूचि की गहन समीक्षा कर, पंचायतवार आवास के लाभ से वंचित परिवारों का सर्वेक्षण करवाकर भूमि की अनुपलब्धता के कारण वंचित परिवारों हेतु भूमि Set Apart के साथ–साथ योजनान्तर्गत राजकीय भूमि/पंचायत भूमि पर इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत आवास निर्माण प्रारम्भ कर द्वितीय/तृतीय किश्त नहीं मिलने के कारण अधूरे छोड दिये गये बंद/निर्माणाधीन आवास भूमि को भी Set Apart आदि की नियमानुसार कार्यवाही कर नियमितीकरण उपरांत लम्बित किश्त जारी करावें। ।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

23/7/15

(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव,(ग्रावि)

मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना एवं इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत आवासीय भवनों/भूखण्डों के पटटों के संबंध में आ रही कठिनाईयों के निराकरण बाबत दिनांक 20.7.2011 को मुख्य सचिव महोदय के कक्ष में सम्पन्न हुई बैठक का कार्यवाही विवरण:–

बैठक में निम्नलिखित अधिकारीगण सम्मिलित हुए:–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
3. प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग ।
4. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग ।
5. शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग ।
6. शासन सचिव, वन विभाग ।

बैठक के आरम्भ में अति0 मुख्य सचिव, ग्रा0वि0 एवं पं0 राज द्वारा बतलाया गया कि मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना एवं इंदिरा आवास योजना के कियान्वयन के संबंध में विभिन्न ज़िलों में इस योजना के तहत चयनित लाभार्थियों के पक्ष में भूखण्ड/ आवास का विधिक स्वामित्व/पट्टा नहीं होने से योजना के कियान्वयन में कठिनाई आ रही है। इस संबंध में नवीन पट्टे जारी करने व पुराने कब्जों का नियमन कर पट्टे जारी करने के संबंध में विभिन्न विभागों के स्तर से स्थिति स्पष्ट कराया जाना अपेक्षित है ।

बैठक में उपयुक्त कठिनाईयों के संबंध में विभागवार चर्चा की जाकर, स्थिति इस प्रकार से स्पष्ट की गई :–

वन विभाग

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत जारी हक पत्रों के संबंध में शासन सचिव, वन द्वारा अवगत करवाया गया कि नियमानुसार सर्वे कराये जाने के बाद कब्जे के अनुसार उपयोग संबंधी हक पत्र जारी किया गया है, जिसके अन्तर्गत कृषि, आवास एवं कृषि व आवास उपयोग उल्लेखित कर हक पत्र जारी किये गए हैं । जिन हक पत्रों में आवास अथवा कृषि एवं आवास अंकित है उन मामलों में आवास व भवन निर्माण हेतु वन विभाग को कोई आपत्ति नहीं है और पृथक से इस संबंध में कोई पट्टा जारी करने की

आवश्यकता नहीं है । जिन मामलों में हक पत्र केवल कृषि उपयोग हेतु दिया गया है उनमें आवास व भवन निर्माण की अनुमति नहीं दी जा सकती ।

यदि अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत किसी दावे के संबंध में अथवा हक पत्र में उल्लिखित उपयोग के संबंध में किसी कब्जाधारी अथवा हक पत्रधारी को कोई आपत्ति हो तो उक्त अधिनियम व नियम के प्रावधानों के अनुसार अपील आदि की कार्यवाही कर सकता है ।

उक्तानुसार दिशा--निर्देश भी वन विभाग द्वारा जारी कर दिये जावेंगे।

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

नगर विकास न्यास/ जयपुर व जोधपुर विकास प्राधिकरण के पेराफेरी बेल्ट में भूखण्डों/भवनों के ग्राम पंचायत स्तर से आवंटन व पट्टे जारी करने में आ रही कठिनाई के संबंध में शासन सचिव, नगरीय विकास द्वारा अवगत करवाया गया कि पेराफेरी क्षेत्र के अन्तर्गत यदि कोई ग्राम पंचायत के स्वामित्व की आबादी भूमि है तो उसमें ग्राम पंचायत मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना एवं इंदिरा आवास योजना के क्रियान्वयन हेतु आवंटन/ नियमन कर पट्टे जारी करने के लिए स्वतंत्र है, इस संबंध में नगर विकास न्यास/ जयपुर व जोधपुर विकास प्राधिकरण के स्तर से कोई आपत्ति नहीं होगी ।

यदि पंचायत के स्वामित्व से भिन्न अन्य किसी प्रकार की सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण है और उसका नियमन मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना एवं इंदिरा आवास योजना के क्रियान्वयन के उद्देश्य से राज्य सरकार/ग्राम पंचायत द्वारा किया जाना अपेक्षित हो तो इस संबंध में संबंधित नगर विकास न्यास/ जयपुर व जोधपुर विकास प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर ही कार्यवाही की जा सकती है ।

नगर विकास न्यास/जयपुर व जोधपुर विकास प्राधिकरण के पेरीफेरी क्षेत्र के अन्तर्गत जिन स्थानों पर राजकीय/सिवायचक भूमि उक्त संस्थानों को हस्तांतरित की जा चुकी है तथा ऐसी भूमि पर अतिक्रमण व कब्जे किये हुए हैं तथा उनके नियमन का मामला है और ग्राम पंचायत व राज्य सरकार के स्वामित्व की भूमि उपलब्ध नहीं है, उन मामलों में ग्राम पंचायत/जिला प्रशासन द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना एवं इंदिरा आवास योजना के

कियान्वयन हेतु बीपीएल परिवारों के पक्ष में आवंटन/नियमन हेतु प्रस्ताव तैयार कर संबंधित नगर विकास न्यास/जयपुर व जोधपुर विकास प्राधिकरण को दिये जावेगे तथा इन संस्थाओं द्वारा बीपीएल परिवारों के पक्ष में आवंटन/नियमन की जार्यवाही की जावेगी। ग्राम पंचायत में स्थित चारागाह भूमि को आबादी विस्तार हेतु भी प्रस्ताव तैयार करके राज्य सरकार को भेजे जाऐं।

उक्तानुसार दिशा--निर्देश नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा नगर विकास न्यास/ जयपुर व जोधपुर विकास प्राधिकरण के लिए जारी कर दिये जावेंगे ।

राजस्व विभाग

सिवायचक भूमि व चारागाह भूमि पर अतिक्रमण व उक्त भूमि पर क़ब्जों के नियमन के संबंध में, कृषि भूमि के 1/50 भाग पर आवास अधिकार के संबंध में तथा उपनिवेशन क्षेत्र में बीपीएल परिवारों को निःशुल्क आवंटन के संबंध में प्रमुख शासन सचिव, राजस्व द्वारा अवगत करवाया गया कि जिन ग्राम पंचायत क्षेत्रों में आवंटन हेतु आबादी भूमि उपलब्ध नहीं है उन पंचायत क्षेत्रों में उपलब्ध सिवायचक अन्य उपयोग की भूमि को आबादी में परिवर्तित कर ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करवाई जा सकती है । जिन पंचायत क्षेत्रों में सिवायचक भूमि के रुप में केवल चारागाह की भूमि उपलब्ध है वहां पर आवश्यकतानुसार भूमि को आबादी भूमि में रुपांतरित कर ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करवाई जा सकती हैं। चारागाह भूमि पर व अन्य शामलात भूमि पर किये गये अतिक्रमण नियमन नहीं किये जा सकेगें।

जिन पंचायत क्षेत्रों में सिवायचक भूमि पर बिखरे/छितरे हुए अतिकमण के रुप में कब्जे हैं उनके संबंध में प्रमुख शासन सचिव, राजस्व द्वारा अवगत कराया गया कि अलग–अलग कब्जों का नियमन किया जाना सम्भव नहीं होगा, क्योंकि इस प्रकार के नियमन से शेष भूमि अनुपयोगी हो जायेगी तथा बिखरे/छितरे हुए भूखण्डों पर बिजली, पानी एवं आवागमन की सुविधा उपलब्ध करवाये जाने में भी कठिनाई होगी, अतः उक्त कब्जाधारियों के लिए सिवायचक भूमि में एक साथ एक स्थान पर आवंटन/नियमन की कार्यवाही की जा सकती है ।

कृषि भूमि पर कृषक द्वारा राजस्व विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत 1/50 भाग पर आवास एवं भवन निर्माण के अधिकार के संबंध में अवगत करवाया गया कि उक्त अधिकार के अन्तर्गत कृषक को कृषि भूमि पर आवास निर्मित कर रहने का अधिकार है परन्तु इसके लिए कृषि भूमि का रुपांतरण कर आवासीय

पट्टा जारी करने का प्रावधान नहीं है । मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना एवं इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत कृषक को जमाबन्दी के आधार पर ही 1/50 भाग पर आवास निर्माण हेतु इस योजना का लाभ दिया जा सकता है ।

उपनिवेशन क्षेत्र में आवंटन के संबंध में अवगत करवाया गया कि उक्त क्षेत्र में निःशुल्क आवंटन का प्रावधान नियमों में नहीं है । राजस्व विभाग द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना एवं इंदिरा आवास योजना के लाथार्थियों को निःशुल्क आवंटन किये जाने के लिए संबंधित नियमों में संशोधन की कार्यवाही की जावेगी ।

उक्तानुसार राजस्व विभाग द्वारा आवश्यक दिशा–निर्देश भी जारी कर दिये जावेंगे ।

उपर्युक्तानुसार संबंधित विभागों द्वारा अपेक्षित कार्यवाही त्वरित गति से किये जाने के निर्णय के साथ ही धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक सम्पन्न हुई।

अतिरिक्त मुख्य सचिव
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्र0एफ.139( )/पंरावि/विधि/निःशुल्क पट्टा/11/1264 जयपुर,दि0 22-7-11

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग ।
3. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, ग्रा0वि0 एवं पं0राज विभाग ।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग ।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग ।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग ।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, वन विभाग ।

शासन सचिव एवं आयुक्त

परिशिष्ट-2

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक 409(9)व-1/2011 जयपुर, दिनांक 22.07.2011

परिपत्र

मुख्यमंत्री ग्रामीण बी.पी.एल. आवास केजना एवं इंदिरा आवास योजना अन्तर्गत आवासीय/भूखण्डों के पट्टों के संबंध में आ रही कठिनाईयों के निवारण हेतु मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 20.7.2011 में हुई चर्चा के क्रम में वन विभाग द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) वन अधिनियम, 2006 एवं नियम, 2008 के अन्तर्गत वनभूमि के लिए जारी हक पत्र मात्र कृषि, मात्र आवास एवं किसी में दोनों यथा कृषि व आवास प्रयोजन/उपयोग अंकित कर जारी किये गये है। उपरोक्त आवास योजनाओं के पात्र व्यक्ति जिनके पास ऐसे हक पत्र है जिनमें आवास या आवास व कृषि का अंकन है, उनमें आवास के भवन निर्माण हेतु वन विभाग द्वारा कोई आपत्ति नहीं की जावेगी। यहां यह भी उल्लेख किया जाना उचित होगा कि वनभूमि के लिए हक पत्रों के अलावा पृथक से इस संबंध में कोई पट्टा जारी किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

हक पत्र जो मात्र कृषि प्रयोजन/उपयोग हेतु दिये गये है उनमें आवास के भवन निर्माण की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।

(सी.एस. रत्नासामी)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण/ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर ।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान जयपुर ।
3. प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान जयपुर ।
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एच.ओ.एफ.एफ), राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि समस्त वनाधिकारियों को इस परिपत्र की प्रति अपने स्तर से उपलब्ध कराने का श्रम करें।
5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर ।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, जयपुर/उदयपुर/बीकानेर/कोटा/अजमेर/भरतपुर एवं जोधपुर।
7. समस्त क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, जयपुर/उदयपुर/बीकानेर/कोटा/अजमेर/भरतपुर एवं जोधपुर।
8. समस्त जिला कलेक्टर
9. निजी सचिव, मंत्री/राज्यमंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास/वन एवं पर्यावरण, राज0, जयपुर।
10. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर ।

शासन सचिव

परिशिष्ट-3

राजस्थान सरकार

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक:- पीएस/न.वि.वि/2011/8141 जयपुर, दिनांक:- 22/07/11

01. सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

02. सचिव,
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर।

03. सचिव,
नगर सुधार न्यास,
समस्त।

विषयः- दिनांक 25 जुलाई,2011 को मुख्यमंत्री ग्रामीण बी.पी.एल. आवास योजनान्तर्गत भूमि आवंटन हेतु।

राज्य के समस्त नगर सुधार न्यासों एवं जयपुर विकास प्राधिकरणों के क्षेत्रों में आने वाले ग्राम पंचायत मुख्यालय एवं अन्य गांवों की सरकारी भूमि जो इन संस्थाओं को हस्तांतरित हो चुकी है, पर कुछ जगहों पर बी.पी.एल. परिवारों द्वारा लम्बें समय से अपना कच्चा/पक्का मकान बनाकर रहवास किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण बी.पी.एल. आवास योजना दिनांक 25 जुलाई, 2011 से प्रारम्भ की जा रही है। अतः जिला प्रशासन की ओर से ऐसे बी.पी.एल. परिवारों को भूखण्ड आवंटित करने के उद्देश्य से प्रस्ताव प्राप्त होने पर प्रस्तावों का अविलम्ब परीक्षण कर संबंधित ग्राम पंचायत को आबादी विस्तार हेतु भूमि आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः इस संबंध में आप शीघ्र कार्यवाही कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को [illegible]।

(गुरदयाल सिंह संधु)
प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक:- पीएस/न.वि.वि/2011/8141-[illegible] दिनांक:- 22/07/11

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. [illegible] मा0 मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
2. [illegible], राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज0 जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
5. [illegible] विभाग, राज0 जयपुर।
6. [illegible] उप सचिव, नगरीय विकास विभाग (द्वितीय) (तृतीय), राज0 जयपुर।
7. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर।
8. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
9. समस्त कलेक्टर, राजस्थान।
10. सुरक्षित पत्रावली

शासन उप सचिव

D:\Office documents\Latter\Latter os.: Doc. 1435

परिशिष्ट -4

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांक:–प09(35)राज.6/2011/12 जयपुर, दिनांक :– 25-7-11

1. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
2. आयुक्त, उपनिवेशन बीकानेर।

परिपत्र

राज्य में मुख्य मंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना एवं इन्दिरा आवास योजना जारी की जा रही है इस संबंध में मा0 मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 20–7–11 को उक्त योजना के अंतर्गत आवासीय भवनों/भूखण्डों के पट्टों के संबंध में आ रही कठिनाईयों के निराकरण के संबंध आयोजित बैठक में लिये गये निर्णयानुसार निर्देशानुसार लेख है कि राजस्व विभाग के प्रचलित नियमों के अंतर्गत निम्न कार्यवाही करावें:–

1. जिन ग्राम पंचायत क्षेत्रों में आवंटन हेतु आबादी भूमि उपलब्ध नहीं है उन पंचायत क्षेत्रों में उपलब्ध सिवाय चक अन्य उपयोग की भूमि को आबादी में परिवर्तित करने हेतु ग्राम पंचायत का प्रस्ताव प्राप्त होने पर ग्राम पंचायतो को उपलब्ध करवायी जावें एवं जिन पंचायत क्षेत्रों में सिवाय चक भूमि के रूप में केवल चारागाह की भूमि ही उपलब्ध है वहां पर आवश्यकतानुसार ग्राम पंचायत के प्रस्ताव अनुसार भूमि को आबादी भूमि में रूपांतरित कर ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करवायी जावें।
2. जिन पंचायत क्षेत्रों में सिवाय चक भूमि पर बिखरे/छितरे हुये अतिक्रमण के रूप में कब्जे है उनके संबंध में अलग–अलग कब्जों का नियमन किया जाना संभव नहीं है क्योंकि इस प्रकार के नियमन से शेष भूमि अनुपयोगी हो जायेगी तथा बिखरे/छितरे हुये भूखण्डों पर बिजली, पानी एवं आवागमन की सुविधा उपलब्ध करावायें जाने में भी कठिनाई होगी अतः उक्त कब्जाधारियों के लिए अतिक्रमित भूमि को खाली करने की शर्त पर सिवाय चक भूमि में एक साथ एक स्थान पर आंवटन/नियमन की कार्यवाही करावें।

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि:– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. उप शासन सचिव, मुख्य सचिव राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. उप सचिव, मुख्य मंत्री।
4. उप शासन सचिव, उपनिवेशन विभाग।

उप शासन सचिव

परिशिष्ट-5

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क0एफ.4( )विधि/पंरावि/2011/ 1134 जयपुर,दि0 1 जुलाई, 11

जिला कलेक्टर, समस्त, राजस्थान ।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, समस्त, राजस्थान ।

विषयः– "मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना" एवं "इंदिरा आवास योजना" के अन्तर्गत बीपीएल परिवारों को निःशुल्क पट्टा आवंटन के बाबत ।

"मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना" एवं "इंदिरा आवास योजना" के अन्तर्गत ग्रामीण बीपीएल परिवारों को आवासीय सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है जिसकी प्रगति की समीक्षा के दौरान जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के द्वारा विभाग के ध्यान में यह लाया गया है कि पंचायती राज नियमों के अन्तर्गत पंचायतों द्वारा आवासहीन बीपीएल परिवारों को दिये जाने वाले निःशुल्क पट्टों के आवंटन की कोई स्पष्ट प्रकिया निर्धारित नहीं है ।

अतः इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के अन्तर्गत कमजोर वर्गों को आवंटन का प्रावधान है जिसके अन्तर्गत पंचायत सर्किल की आबादी भूमि में बीपीएल परिवारों को निःशुल्क पट्टे आवंटन करने के अधिकार ग्राम पंचायत में निहित हैं तथा नियम 157 के अन्तर्गत पुराने गृहों का विनियमितिकरण कर पट्टे जारी करने की शक्ति भी पंचायत में निहित है। उक्त प्रावधानों के अंर्तगत आवंटन/पट्टा जारी किये जाने बाबत ग्राम पंचायत द्वारा संकल्प पारित किया जाकर आवंटन/पट्टा जारी करने की कार्यवाही की जा सकती है । *नियम 157 एवं 158 के अंतर्गत आवंटन व पट्टा जारी करने के लिए नीलामी द्वारा आवंटन किये जाने संबंधी प्रक्रियात्मक प्रावधान नियम 145 से 156 द्वारा निर्धारित प्रकिया की पालना अपेक्षित/आवश्यक नहीं है ।* अतः नियम 157 एवं 158 के अंर्तगत ग्राम पंचायत द्वारा संकल्प पारित कर बीपीएल परिवारों को पट्टे आवंटन की कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करावें, ताकि योजना सुचारु रुप से कियांवित किया जा सके ।

जिला कलेक्टर से यह अपेक्षा की जाती है कि जिन ग्राम पंचायतों के अधीन पंचायत सर्किल में आवंटन हेतु आबादी भूमि उपलब्ध नहीं है उन ग्राम पंचायतों के लिए ग्राम पंचायत क्षेत्र में उपलब्ध राज्य सरकार के स्वामित्व की अन्य उपयोग की भूमि को आबादी उपयोगार्थ परिवर्तित करते हुए आवंटन हेतु ग्राम पंचायत को उपलब्ध करवाई जावे।

(सी0एस0 राजन)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपिः–
1. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व, राजस्थान, जयपुर ।
2. शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान, जयपुर ।
3. अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त, राजस्थान ।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त, राजस्थान ।

शासन सचिव एवं आयुक्त

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक: एफ. 27(67)ग्रांविवि/मुमंग्राबीपीएलआ.यो./2011 जयपुर, दिनांक 3 अगस्त, 2011

जिला कलेक्टर
(समस्त) राजस्थान।

विषय: "मुख्यमन्त्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना" एवं "इन्दिरा आवास योजना" (Incentive & Regular) तथा सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत शौचालय निर्माण की वित्तीय स्वीकृतियों के सन्दर्भ में पंचायत समिति समारोह बाबत।

उपरोक्त विषयार्न्तगत पंचायत समिति स्तर पर सम्मेलन आयोजित कर लाभार्थियों को वित्तीय स्वीकृतियों के वितरण का कार्य मुस्तैदी से करने के लिए मैं आपकी टीम एवं आपको बधाई देता हूँ।

इन आवासीय योजनाओं के पात्र परिवारों को निःशुल्क आवासीय भूखण्ड/भूमि/कृषि भूमि/शहरों के पैराफेरी क्षेत्र/चारागाह/वन भूमि आदि पर आवास निर्माण हेतु आवंटन/अनुमति में आ रही कठिनाई के समाधान हेतु मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 20.07.2011 को सम्पन्न हुई बैठक में लिए गये निर्णयों का कार्यवाही विवरण पत्रांक 139( )पंरावि/विधि/निःशुल्क पट्टा/11/1264 दिनांक 22.07.2011 की प्रति परिशिष्ठ–1 पर संलग्न की जा रही है। इसी क्रम में शासन सचिव, वन विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.9(9)वन/2011 दिनांक 22.07.2011 परिशिष्ठ–2 पर, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा जारी पत्रांक– पीएस/न.वि.वि./2011/स्पेशल–1 दिनांक 22.07.2011 परिशिष्ठ–3 पर एवं प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.9(35)राज.6/2011/12 दिनांक 20.07.2011 परिशिष्ठ–4 पर संलग्न किये जा रहे हैं। उक्त आदेशों/निर्देशों/परिपत्रों की प्रतियां ग्राम पंचायत के ग्राम सेवक, सरपंच, पटवारी सहित समस्त सम्बन्धितों तक भिजवाकर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करावें ताकि वांछित पात्र परिवारों को समय पर लाभ मिल सके।

"मुख्यमन्त्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना" एवं "इन्दिरा आवास योजना" (Incentive & Regular) तथा सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत शौचालय निर्माण हेतु लाभार्थियों को वित्तीय स्वीकृति वितरित किये जाने हेतु पंचायत समिति स्तर पर दिनांक 25.07.2011 से 01.08.2011 तक आयोजित समारोह की प्रगति की समीक्षा करने पर स्थिति निम्नानुसार पाई गई है :–

1. उक्त योजनाओं के अन्तर्गत जिलों को आवंटित लक्ष्य के अनुरूप समस्त वित्तीय स्वीकृतियां जारी नहीं की गई हैं। दिनांक 01.08.2011 तक की प्रगति का विवरण परिशिष्ठ–5 पर संलग्न है।
2. "मुख्यमन्त्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना" एवं "इन्दिरा आवास योजना" (Incentive & Regular) के साथ ही सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत शौचालय निर्माण की वित्तीय स्वीकृतियां भी जारी की जानी थीं, जोकि पूर्ण रूप से जारी नहीं की गई हैं।
3. जिलों को वित्तीय स्वीकृतियां विभागीय वैब–साईट पर अपलोड किये जाने के निर्देश दिये जाने के उपरान्त भी पूर्ण रूप से वित्तीय स्वीकृतियां अपलोड नहीं की गई हैं। हस्ताक्षरित वित्तीय स्वीकृतियां ही अपलोड की जानी हैं।

4. उक्त कम में जिलों को आवंटित लक्ष्य के अनुरूप वित्तीय स्वीकृतियां जारी होना, वैब–साईट पर अपलोड किया जाना 7 दिवस में सुनिश्चित किया जाये। ऐसा सम्भव न हो तो कारण से तत्काल अवगत कराया जाये।

5. योजना के समस्त लाभार्थियों के बैंक खाते खोले जाने सुनिश्चित करें, यदि खाते खोलना शेष है, तो शीघ्र खाते खुलवाने की कार्यवाही करें।

6. उक्त योजनाओं में जारी की गई वित्तीय स्वीकृतियों के लाभार्थियों के बैंक खातों में राशि का हस्तान्तरण निर्धारित अवधि में किया जाना सुनिश्चित करते हुए जिलों द्वारा योजनावार सम्बन्धित बैंको/पोस्ट ऑफिस को हस्तान्तरित राशि एवं सम्बन्धित बैंकों/पोस्ट ऑफिस द्वारा लाभार्थियों के बचत खाते में हस्तान्तरित कुल राशि की सम्पूर्ण सूचना www.rdprd.gov.in के वैब–साईट पर सम्बन्धित प्रोग्राम में लाभार्थीवार सूचना दर्ज करें, जिससे कि MIS के जरिये यह ज्ञात हो सके कि किस–किस लाभार्थी के खाते में प्रथम किश्त की राशि प्राप्त हो चुकी है।

7. योजनाओं की वित्तीय स्वीकृतियां एवं प्रगति ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की वैब–साईट पर प्रतिदिन अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही के लिए निश्चित समय सीमा निर्धारित कर पालना सुनिश्चित करावें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

अतिरिक्त मुख्य सचिव,

प्रतिलिपि– समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

शासन सचिव